



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1398]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 2018/चैत्र 19, 1940

No. 1398]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 2018/CHAITRA 19, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

का.जा.1543(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एनजीटी वर एसोसिएशन (पश्चिमी जोन) बनाम भारत मंच एवं अन्य के मामले में वर्ष 2017 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1235 में तारीख 27 मार्च, 2018 को दिए गए आदेश के अनुसरण में, न्यायमूर्ति डॉ. जवाहर रहम, न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को 5 अप्रैल, 2018 से पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने की तारीख तक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 17(30)/2017-पीएल/एनजीटी]

अरुण कुमार मेहता, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2018

S.O. 1543(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010) and in pursuance of the Order of the Supreme Court of India, dated the 27th March, 2018 in the Writ Petition (Civil) No.1235 of 2017, in the matter of NGT Bar Association (Western Zone) Vs. Union of India and Others, the Central Government hereby authorises Dr. Justice Jawad Rahim, Judicial Member, National Green Tribunal to act as the Chairperson of the National Green Tribunal, with effect from the 5th April, 2018 until the date on which a new Chairperson is appointed in accordance with the provisions of the aforesaid Act.

[F.No. 17(30)/2017-PL/NGT]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

2092 GI/2018